

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 12/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 20, अगस्त, 2025

सा.का.नि.....(अ).-केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम(1) के खंड (i) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके कारोबार का मूल स्थान महाराष्ट्र राज्य के मुंबई (शहर), मुंबई (उपनगर), ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में है, के लिए माह जुलाई, 2025 की प्ररूप जीएसटीआर -3-ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अगस्त, 2025 के सत्ताईसवां दिन तक विस्तारित करते हैं।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/45/2025-जीएसटी]

(कंगाले शृंखला मोतीराम)
उप सचिव